संख्या-20 /2018 /2231 /46-2-18-2/2016

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.,
लखनउ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्बर, 2018

विषय- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की आसवनी इकाई अनूपशहर तथा ननौता एवं सहकारी चीनी मिलों यथा सम्पूर्णानगर, कायमगंज, घोसी तथा नानपारा की आसवनी इकाईयों में इन्सीनरेशन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्रों के स्थान पर बायोकम्पोस्ट आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्रों की स्थापना हेतु एन.सी.डी.सी. से स्वीकृत ऋण हेतु शासकीय गारण्टी दिए जाने एवं उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क माफ किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-849/ परिवित्त/ जेड.एल.डी./2018-19 दिनांक 22.10.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 03.12.2018 में दिए गए अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की आसवनी इकाई अनूपशहर तथा ननौता एवं सहकारी चीनी मिलों यथा सम्पूर्णानगर, कायमगंज, घोसी तथा नानपारा की आसवनी इकाईयों में इन्सीनरेशन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्रों के स्थान पर बायोकम्पोस्ट आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्रों की स्थापना हेतु उक्त 06 आसवनियों हेतु आंकलित कुल लागत रू.15,642.00 लाख की 75 प्रतिशत धनराशि रू.11,731.50 लाख एन.सी.डी.सी. से स्वीकृत ऋण हेतु शासकीय गारण्टी प्रदान की जाती है, साथ ही उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क भी माफ किया जाता है।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त शासकीय गारण्टी के निष्पादन हेतु विलेख तैयार कराकर विधीक्षण हेतु तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या-20 /2018/ 2231 (1)/46-2-18-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी वित्त विकास निगम लि.।

2- वित्त नियंत्रक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राष्ट्रीय सहकारी वित्त विकास निगम लि. (एन.सी.डी.सी.) द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण हेतु शासकीय गारण्टी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने के साथ-साथ निर्धारित शुल्श राजकोष में जमा कराते हुए शासकीय गारण्टी एवं काउन्टर गारण्टी के विलेख विधीक्षण हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्ववेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।